No.	Date	Order with the signature of the Court	Office action taken with data
	30/8/13		

न्यायालय
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बगहा, प0 चम्पारण।

भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–122 / 2011–12

शेख दिलमुहम्मद .....वादी

बनाम

शेख चाँद वगैरह.....प्रतिवादी

आदेश

संदर्भ वाद साकिन–भतौड़ा, थाना–बगहा, जिला–प0 चम्पारण, खाता सं0–64, खेसरा सं0–530, रकबा–16 धुर, चौहदी– उ0–मुतुजा मियाँ, द0– जैनूल मियाँ, पु0– शेख आशिक, प0– शेख चाँद, जमाबंदी सं0–794 से संबंधित है। शेख दिलमुहम्मद, पिता– स्व0 शेख महमदीन, साकिन–भतौड़ा, थाना–बगहा, जिला–प0 चम्पारण ने शेख चाँद, पिता–शेख अमीन एवं शेख शमीम, पिता–शेख फरजन सभी साकिन–भतौड़ा, थाना–बगहा, जिला–प0 चम्पारण को प्रतिवादी बनाया है।

वादी कथन करते है कि वाद पत्र में अंकित मद सं0–01 की भूमि उसके दादा शेख भगेलू के नाम से खतियानी बेलगानी भूमि है, जिसका जमाबंदी सं0–794 है। प्रश्नगत जमीन पर उसका पक्का का मकान है, जो उसके शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में है एवं उसका अद्यतन रसीद उसके पास है।

प्रथम पक्ष का अग्रेत्तर कहना है कि प्रश्नगत जमीन के पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण, उसका 1½ डी0 जमीन गसबन कर लिया, जिसका अंचल से नापी कराया गया एवं इसकी पुष्टि अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन से भी होता है। वादी के बार–बार कहने पर भी प्रतिवादी के द्वारा उसका गसबन किये गये भूमि को छोड़ नहीं रहे है।

वादी के द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया है कि उसके अनाधिकृत गसबन वाली जमीन को मुक्त कराया जाय एवं उस पर उसका दखल स्थापित किया जाय। वादी अपने कथन के पुष्टि में निम्न कागजी प्रमाण पेश किया है।

(i) खतियान की छाया प्रति।
(ii) मालगुजारी रसीद वर्ष–2010–11
(iii) अंचल कार्यालय का वाद सं0–33 / 2008–09

विपक्षी न्यायालय में विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब एवं सूचिवद्ध कागजात दाखिल किया है। लिखित जवाब में

Date	Order with the signature of the Court	Office action taken with data

प्रतिवादी का कहना है कि उसका घर वो घड़ारी खेसरा सं0–525, रकबा–01 कट्ठा 09 धुर, जिसका चौहदी उ0–शेख झाहाक, द0–शेख नसरूलाह, पु0–शेख दिलमोहम्मद, प0–सड़क में अवस्थित है एवं वादी का घर खेसरा सं0–530 पर अवस्थित है, जिसे उसको कोई सरोकार नहीं है। प्रतिवादी का अग्रेत्तर कहना है कि खेसरा सं0–525 का जमाबंदी शेख परजन के नाम चलता है जो विपक्षी शेख चाँद के दादा है। प्रतिवादी अपने कथन के समर्थन में कोई कागजात दाखिल नहीं किया है।

पक्षकारों के विज्ञ अधिवक्ताओं का दलीले सुनने एवं दाखिल कागजातों का अध्ययन करने तथा पक्षकारों द्वारा दाखिल अर्जी दावा एवं लिखित जवाब के विश्लेषण से जाहिर होता है कि वादी एवं प्रतिवादी का मकान मय सहन भूमि अलग–अलग खेसरा में अवस्थित है। विपक्षी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत खेसरा सं0–530 जो वादी का है, उसे उसको कोई सरोकार नहीं है। पूर्व में अंचल कार्यालय के द्वारा प्रश्नगत जमीन खेसरा नं0–530 का नापी कराया गया है, जिसमें अमीन के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी के द्वारा वादी का आंशिक जमीन जो नक्शा में लाल रंग से अंकित है का गसबन किया है। सुनवाई के क्रम में विपक्षी के अधिवक्ता का कहना था कि उन्हें वादी के खेसरा सं0–530 से कोई सरोकार नहीं है।

उपर्युक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में इस न्यायालय का स्पष्ट मत बनता है कि वादी के खेसरा सं0–530 एवं प्रतिवादी के खेसरा नं0–525 को चौहदी के अनुसार नापी कर निकाल देने से ही दोनों के बीच विवाद का निष्पादन किया जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विविचित बिन्दुओं के आलोक में अंचल अधिकारी, बगहा–02 को निदेशित किया जाता है कि वादी के खेसरा सं0–530 एवं प्रतिवादी के खेसरा सं0–525 को नापी कर सीमांकन कर दे। वादी का अर्जी आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/8/13
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बगहा, प0 चम्पारण।

30/8/13
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बगहा, प0 चम्पारण।